प्रेस नोट- मॉनीटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक 09.01.2026

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहांपुर पुलिस का सफलतम प्रयास

धारा 364/325/34 भादवि के 03 आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास एवं कुल 105000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जनपद में जघन्य अपराधों को कडी सजा से दण्डित करवाये जाने हेतु चलाये जा रहें ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, बरेली जोन बरेली व श्री अजय कुमार साहनी पुलिस महानिरीक्षक महोदय, बरेली परिक्षेत्र बरेली महोदय के निर्देशानुसार श्री राजेश द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के कुशल निर्देशन में, श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व श्री प्रियांक जैन, क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी के कुशल पर्य़वेक्षण में अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने में शाहजहांपुर पुलिस को बडी सफलता प्राप्त हुई।

इस क्रम में मॉनीटरिंग सेल व थाना निगोही पुलिस तथा अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से माननीय न्यायालय एएसजे 10 में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के उपरान्त थाना निगोही में आरोपीगण 1.प्रेमपाल सिंह पुत्र स्व0 बच्चू सिंह 2. रामू सिंह 3. सुनील सिंह पुत्रगण धनेष पाल सिंह निवासीगण ग्राम लधौला थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर द्वारा वादी के पिता के साथ मारपीट कर अपहरण करके अपने साथ ले जाने के आरोप में 10-10 वर्ष का कठिन कारावास एवं प्रत्येक को 35-35 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सजा प्राप्त किये अभियुक्त का विवरण

1.प्रेमपाल सिंह पुत्र स्व0 बच्चू सिंह 2. रामू सिंह 3. सुनील सिंह पुत्रगण धनेष पाल सिंह निवासीगण ग्राम लधौला थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर

घटना व सजा का विवरण

मु0अ0सं0 80/2013 धारा 364/325/34 भादवि थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर में आरोपीगण 1.प्रेमपाल सिंह पुत्र स्व0 बच्चू सिंह 2. रामू सिंह 3. सुनील सिंह पुत्रगण धनेष पाल सिंह निवासीगण ग्राम लधौला थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर द्वारा वादी के पिता के साथ मारपीट कर अपहरण करके अपने साथ ले जाने के आरोप में 10-10 वर्ष का कठिन कारावास एवं प्रत्येक को 35-35 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।